सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉंप्लेक्सआयुक्तालय / **AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE**
एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर
AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU– 560300 080-22001463/64

लोक सूचनासं / PUBLIC NOTICE NO. 20/2020 दिनांक /Date: 23.04.2020.

विषय: निर्यात के संबंध में दिये जानेवाले आई.जी.एस.टी.प्रतिदायएस.बी.ओ.ओ.5 में अतिरिक्त उपाय के संबंध में
Sub: IGST refunds on exports-extension in SB005 alternate mechanism-reg.

****

उपर्युक्त विषय, एस.बी.ओ.ओ.5 त्रुटि हल करने के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किये गये दिनांक 23.3.2018 के परिपत्र 08/2018- Cus , दिनांक 06.06.2018 के परिपत्र सं 15/2018- Cus, दिनांक18.07.2018 के परिपत्र सं 22/2018-Cus, दिनांक 24.10.2018 के परिपत्र सं 40/2018-Cus एवं दिनांक 27.08.2019 के परिपत्र सं 40/2018-Cus, की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Kind attention is invited to Board`s Circulars 08/2018- Cus dated 23.03.2018, 15/2018- Cus dated 06.06.2018, 22/2018-Cus dated 18.07.2018, 40/2018-Cus dated 24.10.2018 and 26/2019-Cus dated 27.08.2019 on the above subject of SB005 error resolution.

2. उपर्युक्त परिपत्र, ,बोर्ड द्वारा व्यापर की सुविधा एवं व्यापार द्वारा जी.एसटी युग में परिवर्तित अपेक्षओं को अपनाने एवं अनुकूल बनाने के उद्देश्य से एक अंतरिम उपाय के रूप में जारी किया गया । बहरहाल, उसी विषय संबंधी मामलों पर कई अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था । वर्तमान में भी कई लदान बिल ऐसे हैं जिसमें जी.एस.टी. रिटर्न डाटा एवं लदान बिल के साथ प्रस्तुत सीमा शुल्क डाटा में बीझक विसंगती है जिसके फलस्वरूप एस बी ओओ5 त्रुटि पाया जाता है । इसके परिणाम , आई.जी.एसटी प्रतिदाय भुगतान में बाधा डालती है, जो प्रतिदाय स्क्राल जनरेशन को छोड़कर पूरे रूप से स्वचालित है । दिनांक 31.7.2019 तक दायर किये गए लदान बिल में हुई एस.बी.ओ.ओ.5 बीझक विसंगती त्रुटि को अधिकारी इंटरफेस द्वारा सुलझाने के लिए , बोड के दिनांक 27.08.2019 के परिपत्र द्वारा अनुमति दी गयी ।

The above Board circulars have been issued in the spirit of trade facilitation and as interim measures to help trade adapt and acclimatize to changing requirements in the

GST era. However, representations have been received on the same subject issue. There are still numerous Shipping Bills having invoice mismatches between the GST returns data and the customs data presented along with the Shipping Bills resulting in SB005 error. This results in blocking of the IGST refund disbursal, which is otherwise fully automated, except for the refund scroll generation. Resolution of SB005-Invoice mismatch errors through officer interface was allowed for shipping bills filed upto 31.07.2019 vide Board Circular № 26/2019 Cus. dated 27.08.2019.

3. इस मामला को पुन: परीक्षण किया गया । कोविड 19 महामारी के कारण पूरे देश संकट पूर्ण परिस्थिति को सामना कर रहा है एवं सारे निर्यातकर्ताओं को एस.बी.ओ.ओ 5 त्रुटि के कारण प्रामाणिकतकलिफों को सामना करना पडता है, अत: बोर्ड के दिनांक 21.04.2020. के परिपत्र सं 22/2020 Cusके तहत सीमा शुल्क ई.डी.आई प्रणाली में एस.बी.ओ.ओ5 त्रुटि को सही करने की सुविधा को दिनांक 31.12.2019 के लदान बिल तक बढाने के लिए निर्णय लिया गया है ।

The matter has been re-examined. Considering that the entire country is facing unprecedented challenges due to the COVID 19 pandemic, and that the exporters are facing genuine hard-ships due to the SB005 errors, it has now been decided to extend the facility of SB005 error correction in the Customs EDI system for **Shipping Bills with date upto 31.12.2019**, vide CBIC Circular No. 22/2020 Cus dated 21.04.2020.

4. सभी व्यापार, निर्यातकर्ता, शिप्पिंग लाईन, सीमा शुल्क ब्रोकर्स के सदस्यों को एतद्द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि, एयर कार्गो भवन में स्थित जी.एस.अी प्रतिदाय अनुभाग के जरिये ,त्रुटि का समाधान पाने के इस अवसर को पूरी तरह उपयोग करें ।

All members of the trade, exporters, shipping lines, customs brokers are hereby advised to make use of this opportunity to get the error resolution resolved through the IGST Refunds Section in Air Cargo Complex.

5. इस लोक सूचना के कार्यान्वयन में कोई तकलीफ सामना करना पडे तो, उसको श्री के सुनिल कुमार नायर, सहायक आयुक्त को एयर इंडिया सेटस भवन, कूल पोर्ट, के.आई.ए.एल , देवनहल्ली ,बेंगलूरु560300 में सिथत उनके कार्यालय के (दूर भाष सं 22001449) में उनके ई मेल पताsunil.nair@icegate.gov.in. में सूचित कर सकते हैं ।

Difficulty, if any, faced in implementation of this public notice may be brought to the notice of Shri K.SUNIL KUMAR NAIR, Assistant Commissioner of Customs (Contact No.080-22001449) at the office at the Air India Sats Building, Cool Port, KIAL, Devanahalli, Bengaluru-560300 and also at the email id address : sunil.nair@icegate.gov.in.

अशोक

(अशोक ASHOK) 23/04/2020

प्रधान आयुक्त/ PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईलसंC.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

के तहत जारी की जा रही है /Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

.प्रतिप्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

प्रतिप्रेषित/ Copy to:

1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं9996 , कैंपेगौडारोड, गाँधीनगर, बेंगलूरु
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
3) बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगटन, सं71., कार्गोविल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore Customs Brokers Agents Association
4) सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा/ All Airlines through Association.
5) फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहलातल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIEO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru
6) सभी संरक्षकों/All Custodians.
7) बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट /Bengaluru Customs Website
8) सूचनापट्ट /Notice Board.
9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियरसंगठ्नद्वारा/ through Courier Association)
10)मास्टरफाईल /Master file.